


:: कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ::

:: कार्यालय-आदेश ::


जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, पाली की अभिशंषा के आधार पर निम्नलिखित कार्मिक की राजस्थान सेवा नियम-160 के 4(d) के प्रावधानानुसार कार्यवाही करते हुए डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका जारी करने की सक्षम स्वीकृति प्रदान की जाती है-

क्र.स.	नाम कार्मिक	पद	पदस्थापन स्थान
01.	श्री सुरजीतसिंह आडा	अध्यापक तृतीय श्रेणी लेवल-1	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घेनड़ी, ब्लॉक-रानी, जिला-पाली


(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/एफ-3/13321/डुप्लीकेट सेवापुस्तिका/2017/88 दिनांक: 16/03/2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), पाली संभाग, पाली।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, पाली।
3. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने बाबत।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घेनड़ी, ब्लॉक-रानी, जिला-पाली।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश: दिनांक 16/10/2020 द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के उपायुक्त कार्यालयों एवं छात्रावासों में प्रतिनियुक्ति हेतु चयनित कुल 112 कार्मिकों की अधीक्षक/अधीक्षिका/कोच के पद पर "राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत एक वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति किये जाने की अनुमति प्रदान की गई थी, जिसमें क्रम संख्या-95 पर श्रीमती आशा मीणा, राउमावि 19 झेड, श्रीगंगानगर का कोच के पद पर यालिका आश्रम छात्रावास टोडाजयसिंहपुरा, जिला अलवर में प्रतिनियुक्ति की गयी थी।

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पत्र क्रमांक: एफ 3(ए)()शिक्षा/सीटीएडी/2020-21/8676-78 दिनांक: 04.03.2021 की पालना में श्रीमती आशा मीणा, अध्यापक का पदस्थापित स्थान राउमावि 19 झेड, श्रीगंगानगर के स्थान पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय 13 (Z), जिला-श्रीगंगानगर संशोधित किया जाता है। संबंधित नियंत्रक अधिकारी को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि श्रीमती आशा मीणा, अध्यापक को प्रतिनियुक्ति स्थान हेतु कार्यमुक्त कर इस कार्यालय को अवगत करावें।

—
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

- क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-3/13401/आ.विद्यालय(टी.ए.डी)/प्रतिनियुक्ति/2020/52 दिनांक: 17/03/2021
- प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
- 1- शासन उप सचिव, शिक्षा (गुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
 - 2- संभागीय आयुक्त एवं पदेन आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
 - 3- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
 - 4- संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), बीकानेर संभाग, बीकानेर।
 - 5- जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक/प्रारम्भिक, श्रीगंगानगर।
 - 6- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
 - 7- सम्बन्धित पीईईओ।
 - 8- संबंधित कार्मिक।
 - 9- रक्षित पत्रावली।

—
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)